# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

**पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या** – 46 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/47)

**पंजीयन दिनांक**– 11.02.2021

**निर्णय दिनांक**– 03.09.2021

1. अध्यक्ष श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम मालिया खेडी, चारभुजा स्थान देह, (मालिया खेडी) तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

**–अपीलांट**

**बनाम**

1. जे. के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर के. एम. जैन उपाध्याय, वाणिज्यक जे. के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

**–रेस्पोडेंट्स / प्रार्थी**

2. श्री चारभुजा जी स्थान देह (अवयस्क) जरिये आयुक्त देवस्थान, विभाग, उदयपुर

**–रेस्पोडेंट्स / विपक्षी**

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान / सुरेश सांखला – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिलीप शर्मा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री ख्यालीलाल, निरीक्षक, देवस्थान विभाग (प्रति.) – रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 47 / 2016 निर्णय दिनांक 03.07.2018

## निर्णय

दिनांक 03.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 47/2016 निर्णय दिनांक 03.07.2018 के विरूद्ध दिनांक 27.08.2018 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 24.12.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

पत्रावली में अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह उपस्थित हुए एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि श्री ख्यालीलाल, निरीक्षक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत खनन क्षेत्र की भूमि ग्राम मालियाखेड़ी की आराजी संख्या 333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, जो कि जमाबंदी में रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 अर्थात् चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज है, उसे दिलवाये जाने का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 47/2016 निर्णय दिनांक 03.07.2018 से उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित कर अपीलाण्ट को भी सुनते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

***जहां तक भुगतान करने का प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 37 से आयुक्त, देवस्थान विभाग को पुण्यार्थ विन्यासों का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबंध चेरिटेबल एन्डोमेंट्स एक्ट्स 1890 (सेन्ट्रल एक्ट 6 ऑफ 1890) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है जिससे श्री चारभुजाजी स्थानदेह मालियाखेड़ी के मंदिर भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी देवस्थान विभाग, उदयपुर है जिससे***

*प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत करें।*

*चूंकि विपक्षी संख्या 2 अध्यक्ष श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट ग्राम मालियाखेड़ी ने उक्त ट्रस्ट को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीयन कराया है जो कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अन्तगत सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के प्रकरण संख्या 62/2013 निर्णय दिनांक 31.12.2014 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः यदि विपक्षी संख्या 2 अध्यक्ष, श्री चारभुजाजी मंदिर ट्रस्ट ग्राम मालियाखेड़ी, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के नियमों के तहत मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हो तो आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर अपने स्तर से विपक्षी संख्या 2 को मुआवजा राशि का भुगतान करावें।*

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह आलोच्य अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख अपील उज्र लिये गये हैं, वह यह है कि अपीलाण्ट ने दस्तावेज ट्रस्ट डीड का पंजीयन प्रमाण–पत्र, चारभुजा मंदिर ट्रस्ट बैंक की पासबुक व पेनकार्ड आदि अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा मुआवजा अपीलाण्ट को दिलाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों पर कोई विचार न कर मुआवजा राशि आयुक्त, देवस्थान विभाग को दिलवाये जाने का आदेश कर दिया। उक्त मंदिर की सेवा पूजा ट्रस्ट द्वारा की जाती है तथा ट्रस्ट द्वारा आराजीयात की व्यवस्था की जा रही है, अतएवं मुआवज राशि उन्हें दिलवायी जावें। इसके विरूद्ध दोनों रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की तथा यह भी निवेदन किया कि ट्रस्ट को उक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि का खातेदार मंदिर स्थानदेह है, न कि ट्रस्ट तथा यदि ट्रस्ट में उक्त विवादित भूमि भी शामिल है तो भी जैसा कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित किया गया है कि चेरिटेबल एन्डोमेंट्स एक्ट्स 1890 (सेन्ट्रल एक्ट 6 ऑफ 1890) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है एवं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 37 से आयुक्त, देवस्थान विभाग को पुण्यार्थ विन्यासों का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मुआवजा देवस्थान विभाग को दिये जाने का जो निर्णय किया गया है, उसमें हम प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते। ट्रस्ट को मंदिर की भूमियों की देखभाल एवं उपज प्राप्त करने का अधिकार है तथा उसकी उपज को मंदिर मूर्ति के हितों के लिए उपयोग में लिये जाने का अधिकार है परन्तु शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि से प्राप्त किसी भी मुआवजा राशि को उसे प्राप्त करने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वैधानिक रूप से भी उसका कोषाधिकारी आयुक्त, देवस्थान विभाग होता है। ट्रस्ट को यदि सेवा पूजा/अन्य अपरिहार्य कार्यो के लिए के लिए उक्त भूमि से राशि यदि चाहिये एवं वांछित उचित कारणों के साथ यदि कोषाध्यक्ष (आयुक्त देवस्थान) को आवेदन किया जाता है तो कोषाध्यक्ष अर्थात् आयुक्त, देवस्थान विभाग विचार कर उन्हें वांछनीय राशि नियमानुसार उपलब्ध करवा सकता है परन्तु मुआवजा प्राप्त करने के लिए आयुक्त देवस्थान की तुलना में इस पंजीकृत ट्रस्ट को किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं माना जा सकता। तद्नुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
**अति.संभागीय आयुक्त**
**उदयपुर**

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
**अति.संभागीय आयुक्त**
**उदयपुर**